Sugar: The monthly allocations of levy sugar to most of the States/Union Territories are being made on uniform norm of ensuring 425 gms per capita availability for the projected population as on 1.10.1986. These norms are in effect from 1.2.1987. Accordingly, about 3.35 lakh tonnes of sugar is being allotted per month for distribution under Public Distribution System for the entire country. In addition, the Government releases about 1 lakh tonnes of sugar per annum as festival quota to the States/ Union Territories, proportionate to their monthly levy sugar quotas. Ad-hoc increase of 5% in the levy sugar allocation to all States/Union Territories given since August, 1991, has been discontinued with effect from the levy sugar released for April, 1994, due to fall in sugar production.

Edible Oil: The quantity of edible oil supplied to the States/Union Territories for Public Distribution System depends on the inter se requirement of the States/Union Territories, availability of imported Oil (Palmolein), and other related factors.

*Kerosene Oil:*The Kerosene Oil bulk allocation are made as per past practice to the States/Union Territories on a month-to-month basis. Annual additional allocation has been made to States during 1993-94 and 1994-95, based on a 3% increase on overall national basis.

(b) to (d) Position regarding demand, allotment and offtake of rice, wheat, sugar, kerosene and edible oil (palmolein) in respect of States/Union Territories for the last three financial years is given in the statement (see below). The position in case of these commodities is as follows:—

Wheat and Rice: That the quantity of rice and what lifted by States and Union Territories was less than the quantity allotted to them.

Sugar: Lifting of levy sugar against the quota released for Public Distribution System has been almost hundred percent.

Kerosene Oil: The consumption of kerosene against allocation made to States/ Union Territories has been almost hundred percent.

Imported Edible Oil (Palmolein): The quantity of imported Edible Oil lifted by the States/Union Territories has been less than the quantity allotted to them.

Statement

Demand, Allotment and Offtake of rice and wheat as well as allocation and offtake of kerosene oil and edible oil under Public Distribution system during the last three financial years (1991-92, 1992-93 and 1993-94).

(Quantity in '000 Tonnes)

	1991-92	1992-93	1993-94
Wheat			
Demand	15624.40	17236.75	12904.08
Allocation	10159.51	9032.24	9368.10
Offtake	8603.80	7216.70	5723.20
Rice			
Demand	15187.75	15434.66	14246.80
Allocation	11133.88	11245.30	12218.70
Offtake	9760.70	9158.00	8748.50
Kerosene Oil			
Allocation	8243.58	8367.07	8606.84
Consumption	8238.11	8352.83	8580.37
Imported Edible Oil			
Allocation	100.52	73.85	44.91
Offtake	84.14	58.52	23.81

चीनी की मात्रा

3290. **श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे:** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित चीनी साफ सुथरी नहीं होती और उसकी मिठास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं होती;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार के चीनी की गुणवत्ता के बारे में कुछ मानदंड निर्धारित किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मानदंडों को पूरी तरह से लागू करने के लिए सरकार क्या-क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) और (ख) देश में चीनी मिलों द्वारा उत्पादित की जा रही चीनी न्यूनतम 99.5 प्रतिशत के ध्रुवीकरण वाले अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उत्पादित चीनी के साथ तुलनीय है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने चीनी उत्पादन के लिए भारत में वैक्यूम पैन चीनी फैक्ट्रियों के लिए भारतीय चीनी मानक निर्धारित किए हैं। क्रिस्टल चीनी के 3 ग्रेन आकारों अर्थात् एल, एम और एस में 6 ग्रेड प्रचलित हैं, जिसमें हर ग्रेन साइज समूह में दो रंग हैं अर्थात् 30 और 29 तद्नुसार सफेद क्रिस्टल चीनी के निर्धारित आई.एस.एस. ग्रेड निम्नानुसार हैं:-

आई.एस.एस. ग्रेड	--	एल-30
आई.एस.एस. ग्रेड	–	एल-29
आई.एस.एस. ग्रेड	–	एम-30
आई.एस.एस. ग्रेड	–	एम-29
आई.एस.एस. ग्रेड	–	एस-30
आई.एस.एस. ग्रेड	–	एस-29

क्रिस्टल चीनी, जो ग्रेन साइज या रंग में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं से कम है, "आई.एस.एस. ग्रेड से कम" मानी जाएगी।

(ङ) खाद्य मंत्रालय, शर्करा निदेशालय के निरीक्षण अधिकारी (शर्करा) चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी की गुणवत्ता जांचने के उद्देश्य से चीनी के नमूने लेने के लिए समय-समय पर चीनी फैक्ट्रियों का दौरा करते हैं। चीनी की गलत ग्रेडिंग से संबंधित अपराधों के लिए चूककर्ता चीनी फैक्ट्रियों के खिलाफ चीनी (पैकिंग एवं मार्किंग) आदेश, 1970 के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

गेहूं को हुई क्षति

3291. **श्री राघवजी:** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे गेहूं की मात्रा क्या है जिसे 1994 में सरकार द्वारा खरीदा गया और जो उचित परिरक्षण प्रबंधों के अभाव में खराब हो गया;

(ख) उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं जहां उपरोक्त कारणों से गेहूं खराब हो गया और प्रत्येक स्थान पर खराब हुए गेहूं की मात्रा कितनी-कितनी थी;

(ग) क्या गेहूं की क्षति के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो उस जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) सरकारी एजेंसियों द्वारा 1994 के दौरान 11.86 मिलियन मीटरी टन गेहूं की कुल वसूली की गई थी और परिरक्षण संबंधी प्रबंधों की कमी के कारण हुई क्षति की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की बिक्री

3292. **श्री शारदा महन्ती:**
श्री सोम पाल:

क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 27 अप्रैल, 1994 के "इकोनोमिक टाइम्स" में छपा यह समाचार सही है कि भारतीय खाद्य निगम बड़ी मात्रा में खुले बाजार में गेहूं बेचने पर विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही के क्या कारण हैं और इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) खाद्य मंत्रालय ने निम्नलिखित कारणों की वजह से भारतीय खाद्य निगम को उत्तर-पूर्वी राज्यों को छोड़कर देश भर में अक्तूबर, 1993 से अप्रैल, 1994 तक खुले बाजार में तीन मिलियन मीटरी टन तक गेहूं और सितम्बर, 1994 तक दो मिलियन मीटरी टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा बेचने के लिए प्राधिकृत किया था:-

(1) धान/चावल के लिए आगामी वसूली मौसम के लिए आवश्यक भण्डारण स्थान देने के लिए;

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए स्टाक को रखने की लागत कम करने के लिए;

(3) आगामी कमी के मौसम में बाजार हस्तक्षेप उपाय को अपनाकर गेहूं की खुले बाजार की कीमतों पर संतुलित प्रभाव डालना; और

(4) खाद्य राजसहायता की आवश्यकता को कुछ हद तक कम करने के लिए।

ये बिक्रियां खाद्यान्नों के वैध लाइसेंसधारियों, जिनमें खुदरा विक्रेता, थोक व्यापारी, चक्कियों, होलमिल आटा चक्कियों, बेकरियों, कन्फेक्शनरियों, रोलर फ्लोर मिलें, सहकारी समितियां, सुपर बाजार, नागरिक आपूर्ति निगम आदि शामिल हैं, के लिए लागू है। 31.3.94 तक लगभग 28.31 लाख मीटरी टन गेहूं और अप्रैल, 94 से जुलाई, 94 तक लगभग 6.04 लाख मीटरी टन गेहूं खुले बाजार में बेचा गया था।